न्यायालयः-विशिष्ठ न्यायाधीश अजा/जजा (अ.नि.) प्रकरण बारां, जिला-बारां(राज.)
सेशन प्रकरण संख्या 477/2017 (सी.आई.एस. नंबर 537/2017)
राज्य बनाम मदन उर्फ पुष्पेन्द्र वगै0

84/15

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियलस जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.03.2026	विशिष्ठ लोक अभियोजक उपस्थित। अभियुक्तगण मय अधिवक्ता उपस्थित। बकाया बहस अंतिम सुनी गयी। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर सुनाया गया। मुताबिक निर्णय अभियुक्तगण **1. मदन उर्फ पुष्पेन्द्र पुत्र सत्यनारायण, उम्र-31 साल (वर्तमान उम्र-39 साल), 2. नीलू उर्फ निर्मल पुत्र हेमराज, उम्र-23 साल (वर्तमान उम्र-31 साल), निवासीगण-छैलाबैल, थाना-अटरू, जिला-बारां (राज.)** को आरोपित अपराध अंतर्गत **धारा 504/34 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(1)(s), 3(2)(va) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989** के आरोपों के संदर्भ में युक्तियुक्त संदेह से परे अभियोज्य साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ दिये जाने के आधार पर दोषमुक्त किया जाता है तथा उक्त अभियुक्तगण को आरोपित अपराध अंतर्गत **धारा 341, 323/34 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।** सजा के बिन्दु पर पृथक से सुना गया। अभियुक्तगण की ओर से पूर्व में दोषसिद्ध नहीं होने और परिवीक्षा का लाभ नहीं लेने बाबत पृथक-पृथक शपथ पत्र भी पेश किये गये, जो शामिल पत्रावली हो। परिणामतः उक्त अभियुक्तगण **मदन उर्फ पुष्पेन्द्र व नीलू उर्फ निर्मल** को दोषसिद्ध अपराध अंतर्गत **धारा 341, 323/34 भारतीय दण्ड संहिता** के आरोप के लिए तुरंत कारावास की सजा से दण्डित करने की बजाए **अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा-4** का लाभ इस शर्त के साथ दिया जाता है कि यदि प्रत्येक अभियुक्त **पच्चीस हजार-पच्चीस हजार रूपये** का बंधपत्र व इसी राशि की **एक-एक जमानत एक वर्ष** की अवधि के लिए इस आशय की पेश कर तस्दीक कराए कि उक्त अवधि में वे शांति एवं सद्व्यवहार बनाए रखेंगे, अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे तथा न्यायालय द्वारा तलब करने पर उपस्थित होकर दण्ड भुगतेंगे तो उन्हें परिवीक्षा पर रिहा किया जावे। साथ ही **अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा-5** के	पुष्पेन्द्र निर्मल

13/3/26

विशिष्ट न्यायाधीश
अजा0/जजा0 (अ0नि0) प्रकरण
बारां (राज0)

अन्तर्गत अभियुक्तगण को यह भी आदेश दिया जाता है कि प्रत्येक अभियुक्त अभियोजन व्यय के रूप में 700–700/– **रुपये कुल 700 X 2 = 1400/–रुपये अक्षरे एक हजार चार सौ रुपये** न्यायालय में जमा कराएगा। अभियुक्तगण से प्राप्त उक्त सम्पूर्ण अभियोजन व्यय की **राशि 1400/–रुपये में से 1000/– रुपये** बाद गुजरने मियाद अपील/रिवीजन आहत पप्पूलाल को बतौर क्षतिपूर्ति राशि दी जावे।

चूंकि आहत को उक्तानुसार क्षतिपूर्ति राशि दिलाये जाने का आदेश किया गया है। अतः प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत परिवादी/आहत को पृथक से कोई क्षतिपूर्ति दिलाए जाने की अनुशंषा किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अभियुक्तगण के न्यायालय में उपस्थिति बाबत् पूर्व के जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं। अभियुक्तगण द्वारा धारा-437 ए दं.प्र.सं. के अन्तर्गत अपीलीय न्यायालय में अपील होने की स्थिति में उपस्थित होने हेतु पन्द्रह–पन्द्रह हजार रूपये के जमानत मुचलके प्रस्तुत कर तस्दीक करवाए जा चुके हैं, जो निर्णय की दिनांक से 6 माह के लिए प्रवृत्त रहेंगे।

प्रकरण में यदि कोई वजह सबूत व मालखाना हो तो बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार निस्तारित किया जावे तथा अपील होने की सूरत में अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार निस्तारित किया जावे।

अभियुक्तगण की ओर से मुताबिक आदेश प्रोबेशन के जमानत मुचलके पेश किए, जो बाद जांच तस्दीक किए गए तथा अभियुक्तगण की ओर से अभियोजन व्यय की राशि जर्ये जी.आर.एन. नंबर 119953709 दिनांक 13.03.2026 से **1400/–रुपये अक्षरे एक हजार चार सौ रुपये** जमा कराई, जो जमा राजकोष हो। पत्रावली में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

13/3/26

विशिष्ट न्यायाधीश
[illegible]/ एस०सी० (अ०जा०)
बारां (राज०)